ए.

आईसी-56663 एक्स कोल अनिल कुमार

गुप्ता

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

बी.

(2019 की सिविल अपील संख्या 8968)

नवंबर 07,2022

[उदय उमेश ललित**,** मुख्य न्यायाधीश और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.]**

सेना अधिनियम, 1950:s.122-सीमा-s के संदर्भ में।122 सेना अधिनियम के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए सेना अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति का न्यायालय मार्शल द्वारा कोई मुकदमा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू नहीं किया जा सकता था, और ऐसी अवधि अपराध की तारीख से शुरू होगी या जहां अपराध के बारे में अपराध से पीड़ित व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पता नहीं था, पहले दिन जिस दिन ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, जो भी पहले हो-तत्काल मामले में, पीड़ित सेना अधिकारी ने संबंधित प्राधिकारी को एक पत्र लिखा कि वह जानता था कि अपीलार्थी -सेना अधिकारी अपनी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था जो यौन रूप से स्पष्ट प्रकृति का था और उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि अपीलार्थी और उसका122 अधिनियम का-इसलिए एस के उद्देश्य के लिए।122, दोनों तिथियां प्रासंगिक होंगी, यानी वह तारीख जब कथित अपराध पीड़ित व्यक्ति की जानकारी में आता है और जिस तारीख को कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कथित अपराध के बारे में पता चलता है-जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमा तीन साल बाद शुरू हुआ और इसलिए एस के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित था।122 अधिनियम की-उक्त कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाता है-हालांकि, अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति बेहद सीमित है-यह कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं से सीमित है जिससे प्रकट अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है-न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने का मूल्यांकन है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

700 ए.

701

आईसी-56663 एक्स कोल अनिल कुमार गुप्ता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

प्रक्रिया और स्वयं निर्णय के गुणों की नहीं-इसलिए, आरोप पत्र के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही कानून-प्रशासनिक कानून-न्यायिक समीक्षा के अनुसार जारी रहेगी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

बी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** धारा **122** के प्रयोजन के लिए, दो तिथियां प्रासंगिक होंगी, यानी वह तारीख जब कथित अपराध पीड़ित व्यक्ति के संज्ञान में आता है और जिस तारीख को कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कथित अपराध के बारे में पता चलता है।धारा **3 (xvii)** के अनुसार "अपराध" का अर्थ है उक्त अधिनियम के तहत न्यायालयनीय कोई भी कार्य या चूक और इसमें धारा **3 (ii)** में परिभाषित एक दीवानी अपराध शामिल है जिसका अर्थ है एक आपराधिक अदालत द्वारा विचारण योग्य अपराध।सेना अधिनियम का अध्याय**-VI** अपराधों से संबंधित है।उक्त अध्याय के तहत आने वाली धारा **45** में कहा गया है कि सेना अधिकारी, कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी या वारंट अधिकारी जो अपने पद और उससे अपेक्षित चरित्र के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, वह उसमें निर्धारित दंड भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा।**[**पैरा **8] [706-**एफ-एच**; 707-**ए**]**

सी.

डी.

2. तत्काल मामले में, पीड़ित व्यक्ति द्वारा संबंधित प्राधिकारी को लिखे गए दिनांक **1** के पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि वह अपीलार्थी के कथित

कार्य से अवगत था जिसने उक्त पत्र की तारीख को अपनी पत्नी का स्नेह चुरा लिया था।उन्होंने उक्त पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि यह अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी का स्नेह चुराने के कृत्य के बारे में संबंधित प्राधिकारी के ध्यान में लाने के लिए था।उन्होंने इसमें आगे आरोप लगाया था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था जो यौन रूप से स्पष्ट थे और उनके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने एक-दूसरे के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए थे।इसलिए, तारीख **13.08.2015** वह महत्वपूर्ण तारीख होगी जिस पर पीड़ित व्यक्ति को कथित अपराध के बारे में जानकारी थी। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा **122** के उद्देश्य के लिए उक्त तिथि से समय चलना शुरू हो गया था। संयोजक प्राधिकरण ने जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे का निर्देश देते हुए दिनांक **22.11.2018** के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से तीन साल से अधिक था और इसलिए अधिनियम की धारा **122** के तहत वर्जित था। हालांकि, इसके अनुसार

ई.

एफ.

जी.

एच.

702 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

ए.

अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति में, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति बेहद सीमित है।यह कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं से घिरा हुआ है जिससे प्रकट अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि निर्णय के गुणों का।इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि **19.11.2018** पर जारी आरोप पत्र के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी। **[**पारस **9,11] [707-**बी**-**डी**,** एफ**; 708-**ए**-**बी**]**

बी.

क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक और ए. एन. आर. बनामकृष्ण

सी.

कुमार भारद्वाज (2022) 5 एस. सी. सी. 695-पर भरोसा किया।संदर्भित निर्णय

(2022) 5 एस**.** सी**.** सी**. 695**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **11**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 8968।

डी.

2019 के एम. ए. संख्या 645 के साथ 2019 के ओ. ए. No.32 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

इंद्र सेन सिंह, अभिषेक सिंह, आदित्य बारी, एल्विन जोशी, उज्ज्वल वर्मा, जे. अमल आनंद, सुश्री अलीशा शर्मा, सर्वेश सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानू अग्रवाल, प्रणीत प्रणव, सुश्री नीला केदार गोखले, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.**

1. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 30 (1) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर वर्तमान अपील, 2019 के एम. ए. संख्या 645 के साथ 2019 के ओ. ए. संख्या 32 में न्यायालय संख्या 2 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त ओ. ए. को खारिज कर दिया है।2019 का ओ. ए. सं. 32 अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें तीन ए वाले दिनांकित 19.11.2018 के आरोप-पत्र को चुनौती दी गई थी।

जी.

एच.

703

आईसी-56663 एक्स कोल अनिल कुमार गुप्ता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अपीलार्थी द्वारा सेना अधिनियम, 1950 की धारा 45 के तहत अपनी स्थिति और उससे अपेक्षित चरित्र के प्रतिकूल व्यवहार करने और सामान्य न्यायालय मार्शल (जी. सी. एम.) के

माध्यम से अपीलार्थी के मुकदमे का निर्देश देने वाले संयोजक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देने से संबंधित आरोप।

2. वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी को 07.12.1996 पर राजपूताना राइफल्स (इन्फैंट्री) की 14 बटालियन में भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।13.08.2015 पर, अपीलार्थी के एक करीबी दोस्त और सहयोगी कर्नल रमनीश पाल सिंह ने ब्रिगेडियर को एक पत्र लिखा।अजव विग जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

बी.

“गोपनीय

सी.

कर्नल रामनीश पाल सिंह **14** वीं बटालियन द राजपूताना राइफल्स

कमांडिंग ऑफिसर

पिन**-912014**

सी/ओ **56** एपीओ

डी.

आरपीएस **156206**/पर्स

13, 15 अगस्त

ब्रिगेडियर अजव विग

सीडीआर

79 एमटीएन बीडीई

ई.

पिन**-908079**

सी/ओ **56** एपीओ

आर/ओ आईसी **56663** कोल अनिल के गुप्ता **1** में शिकायत।मैं यह पत्र एल**.** सी**.** **56663,** कर्नल अनिल के**.** गुप्ता द्वारा भाई अधिकारी का स्नेह चुराने के कृत्य को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं।अधिकारी वर्तमान में नई दिल्ली में मुख्यालय डी**.** जी**.** एन**.** सी**.** सी**.** में तैनात हैं**,** जो डी**.** आई**.** आर**.** एन**.** सी**.** सी**.** **(**पी**.** एल**.** यू**.)** सी**.** ओ**.** आर**.** डी**.** को किराए पर लेते हैं। **2.**ऑफ़र मेरी पत्नी को अभद्र संदेश भेज रहा है**,** जो यौन रूप से स्पष्ट

है और यह मानने का उचित कारण है कि वे अवैध शारीरिक संबंध में लिप्त हैं मेरी पत्नी**,** श्रीमती सुगंधी अग्रवाल समान रूप से शामिल रही हैं और उन्होंने इन संदेशों का सकारात्मक जवाब दिया है।**13** जुलाई **2015** को दिल्ली में मेरे घर पर**,** अपनी पत्नी से कुछ आधिकारिक सामाजिक जुड़ाव के बारे में झूठ बोलने के बाद और **2030** एच से लगभग वहाँ मौजूद था।दो घंटे।

एफ.

जी.

एच.

704 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

3. अपनी शादी के संबंध में**,** मैं बेवफाई के आरोपों के आधार पर नागरिक न्यायालय में तलाक की कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखता हूं।हालाँकि**,** मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप घटना की उपयुक्त जांच शुरू करें और उचित समझे जाने पर प्रस्तावक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मामला दर्ज करें।मैं आपसे कर्नल ए**.** के**.** गुप्ता की दिल्ली से तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध कर सकता हूं।

बी.

गर्मजोशी से

एसडी**/-**

गोपनीय

सी.

Sd/- 31.10.15 Sd/- 31.10.15 Sd/- 31/10 XV "

3. उक्त पत्र के परिणामस्वरूप, कर्नल रमनीश पाल सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र द्वारा एक न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई थी।अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए जी. ओ. सी. दिल्ली क्षेत्र के निर्देशों के साथ उक्त न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को अंतिम रूप दिया गया था।सेना नियम 22 के संदर्भ में आरोप की सुनवाई के बाद, 24.07.2017 पर साक्ष्य का सारांश दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए थे।साक्ष्य के सारांश के पूरा होने पर, अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था और तदनुसार, सेना अधिनियम की धारा 45 के तहत सैन्य अधिनियम की धारा 45 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ तीन आरोप बनाए गए थे, जिसमें उसने अपनी स्थिति और चरित्र के अनुरूप व्यवहार नहीं किया था।इसके परिणामस्वरूप, 22.11.2018 पर संयोजक प्राधिकरण ने जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे का निर्देश दिया।

डी.

ई.

4. अपीलार्थी ने संयोजक प्राधिकरण को संबोधित अपने दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से सेना अधिनियम की धारा 122 के संदर्भ में सीमा की अवधि से संबंधित एक मुद्दा उठाया, हालाँकि, चूंकि मुकदमे के निर्देश दिए गए थे, इसलिए उन्हें जनरल न्यायालय मार्शल के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की सलाह दी गई थी।इसके बाद अपीलार्थी ने 07.01.2019 पर एक मूल आवेदन नं.32/2019 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 14 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष, दिनांकित 19.11.2018 के आरोप-पत्र के साथ-साथ संयोजक प्राधिकरण द्वारा जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा अपीलार्थी के मुकदमे का निर्देश देने वाले दिनांकित 22.11.2018 के आदेश को चुनौती दी गई।विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा उक्त ओ. ए. को खारिज कर दिए जाने के बाद, वर्तमान अपील दायर की जाती है।इस न्यायालय ने 02.12.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए, ए पर रोक लगा दी थी

एफ.

जी.

एच.

705

आईसी-56663 एक्स कोल अनिल कुमार गुप्ता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ जनरल न्यायालय मार्शल कार्यवाही।

5. सैन्य अधिनियम की धारा 122 पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे को उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा की अवधि से बाधित किया गया था।उनके अनुसार पीड़ित व्यक्ति अर्थात कर्नल रमनीश सिंह को कथित अपराध के बारे में तब पता चला जब उन्होंने 13.08.2015 पर पत्र लिखा और संयोजक प्राधिकरण ने कर्नल रमनीश सिंह द्वारा लिखे गए पत्र के तीन साल बाद 22.11.2018 पर जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया था।इसलिए तीन साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है जैसा कि सेना अधिनियम की धारा 122 में विचार किया गया है, न्यायाधिकरण ने संयोजक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश और परिणामस्वरूप परीक्षण कार्यवाही को रद्द नहीं करने में त्रुटि की थी।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त आरोपों के आधार पर सेना अधिनियम की धारा 45 के तहत अपीलार्थी

के खिलाफ तीन आरोप तैयार करने वाले आई. डी. 1 दिनांकित आरोप पत्र को भी रद्द करने और अपास्त करनाने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

डी.

प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होते हुए जोरदार ढंग से कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति कर्नल रमनीश सिंह द्वारा लिखे गए दिनांकित पत्र से यह नहीं समझा जा सकता है कि उन्हें अपीलार्थी द्वारा कथित अपराध के बारे में जानकारी थी।उनके अनुसार, साक्ष्य के सारांश के पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था और इसलिए आरोप पत्र 19.11.2018 पर जारी किया गया था और इसके परिणामस्वरूप संयोजक प्राधिकरण ने जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे का निर्देश दिया था।उन्होंने न्यायालय का ध्यान लेफ्टिनेंट जनरल, एडजुटेंट जनरल की शाखा, सेना मुख्यालय डी. एच. क्यू. पी. ओ., नई दिल्ली द्वारा दिनांकित 03.11.2000 के पत्र की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें अधिकारियों के वैवाहिक मामलों के अनुशासनात्मक पहलू से निपटने की नीति है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कथित दुर्व्यवहार व्यभिचार के बराबर क्या है, यह न्यायालय की जांच करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकारी की पत्नी के स्नेह को चुराने का कथित अपराध अधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं, और तत्काल मामले में, उक्त अपराध को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सारांश के पूरा होने के बाद ही बनाया गया था।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि विभाग ने अपीलार्थी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की है, इसलिए न्यायाधिकरण ने उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, सेना अधिनियम की धारा 122 में निहित प्रासंगिक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

“122. विचारण के लिए सीमा की अवधि**-(1)** उप**-**धारा **(2)** द्वारा उपबंधित के अलावा**,** किसी भी अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति का कोर्ट**-**मार्शल द्वारा कोई मुकदमा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू नहीं किया जाएगा और ऐसी अवधि शुरू होगी **-**

बी.

(क**)** अपराध की तारीख को या**,**

सी.

(ख**)** जहां अपराध से पीड़ित व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपराध के होने की जानकारी नहीं थी**,** पहले दिन जब ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के संज्ञान में आता है**,** जो भी पहले हो या

डी.

(ग**)** जहां यह नहीं पता है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था**,** पहले दिन जिस दिन अपराध से पीड़ित व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपराधी की पहचान का पता चलता है**,** जो भी पहले हो।

ई.

8. उक्त प्रावधान के नंगे पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि किसी भी अपराध के लिए सेना अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति का न्यायालय मार्शल द्वारा कोई मुकदमा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू नहीं किया जा सकता है, और ऐसी अवधि अपराध की तारीख से शुरू होगी या जहां अपराध के होने के बारे में अपराध से पीड़ित व्यक्ति या कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पता नहीं था, पहले दिन जब ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, जो भी पहले हो।अतः धारा 122 के प्रयोजन के लिए, दोनों तिथियां प्रासंगिक होंगी, अर्थात वह तिथि जब कथित अपराध पीड़ित व्यक्ति के संज्ञान में आता है और वह तिथि जिस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कथित अपराध के बारे में पता चलता है।धारा 3 (xvii) के अनुसार "अपराध" का अर्थ है उक्त अधिनियम के तहत न्यायालयनीय कोई भी कार्य या चूक और इसमें धारा 3 (ii) में परिभाषित एक दीवानी अपराध शामिल है जिसका अर्थ है एक आपराधिक अदालत द्वारा विचारण योग्य अपराध।सेना अधिनियम का अध्याय-VI अपराधों से संबंधित है।उक्त अध्याय के तहत आने वाली धारा 45 में कहा गया है कि सेना अधिकारी, कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी या वारंट अधिकारी जो अपने ए के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं।

एफ.

जी.

एच.

707

आईसी-56663 एक्स कोल अनिल कुमार गुप्ता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

पद और उससे अपेक्षित चरित्र को उसमें निर्धारित दंड भुगतना होगा।

9. तत्काल मामले में, पीड़ित व्यक्ति यानी कर्नल रमनीश सिंह द्वारा संबंधित प्राधिकारी को लिखे गए दिनांक 1 के पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह अपीलार्थी के कथित कार्य से अवगत था जिसने उक्त पत्र की तारीख को अपनी पत्नी का स्नेह चुरा लिया था।उन्होंने उक्त पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि यह अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी का स्नेह चुराने के कृत्य के बारे में संबंधित प्राधिकारी के ध्यान में लाने के लिए था।उन्होंने इसमें आगे आरोप लगाया था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था जो यौन रूप से स्पष्ट थे और उनके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने एक-दूसरे के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए थे।इसलिए, तारीख 13.08.2015 वह महत्वपूर्ण तारीख होगी जिस पर पीड़ित व्यक्ति को कथित अपराध के बारे में जानकारी थी।न्यायालयइन्यायालयसन्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयउन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयिन्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय न्यायालय 1 न्यायालय 2 न्यायालय 2 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयउन्यायालयदन्यायालय्न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयशन्यायालय्न्यायालययन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयउन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय न्यायालयतन्यायालयिन्यायालयथन्यायालयिन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय न्यायालयचन्यायालयलन्यायालयनन्यायालयान्यायालय न्यायालयशन्यायालयुन्यायालयरन्यायालयून्यायालय न्यायालयहन्यायालयोन्यायालय न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय।न्यायालय न्यायालयमन्यायालयान्यायालयमन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयउन्यायालयसन्यायालय न्यायालयदन्यायालयृन्यायालयषन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयोन्यायालय णन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय,न्यायालय न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयतन्यायालय्न्यायालययन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयिन्यायालययन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयओन्यायालयरन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयउन्यायालयपन्यायालयसन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयदन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयषन्यायालय्न्यायालयठन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयान्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालययन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयेन्यायालयदन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय अपीलार्थी न्यायालय
न्यायालयदन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयबन्यायालयान्यायालयरन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालय़न्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयवन्यायालय्न्यायालययन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयनन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालयखन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालयखन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालयझन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयनन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयबन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयतन्यायालय्न्यायालययन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयथन्
यायालयिन्यायालययन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयथन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयृन्यायालयषन्यायालय्न्यायालयटन्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालययन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयषन्यायालय्न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयषन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालयलन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय अपीलार्थी न्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयान्यायालयधन्यायालय विद्वान न्यायालय
न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयसन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयीन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय विद्वान न्यायालय

न्यायालयजन्यायालयान्यायालय न्यायालयसन्यायालयकन्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय।न्यायालयअतः तारीख 13.08.2015 वह तारीख होगी जिस दिन पीड़ित व्यक्तियों यानी कर्नल रमनीश पाल सिंह को अपीलार्थी द्वारा कथित अपराध किए जाने के बारे में जानकारी थी।संयोजक प्राधिकरण ने जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा मुकदमे का निर्देश देते हुए दिनांक 22.11.2018 के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से तीन साल से अधिक था और इसलिए अधिनियम की धारा 122 के तहत वर्जित था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

10. इसलिए हमारी राय है कि जनरल न्यायालय मार्शल द्वारा दिनांकित आदेश 22.11.2018 द्वारा निर्देशित मुकदमे को सेना अधिनियम की धारा 122 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। उक्त कार्यवाहियों को निरस्त किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार उन्हें अपास्त करना दिया जाना चाहिए।

जी.

11. हालांकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति 1 के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति बेहद सीमित है।यह कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को सुधारने की सीमाओं से घिरा हुआ है जिससे प्रकट अन्याय होता है।

1 क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक और ए. एन. आर बनामकृष्ण कुमार भारद्वाज, (2022) 5

एच.

एस. सी. सी. 695

या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन।न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि निर्णय के गुणों का।इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 19.11.2018 पर

जारी आरोप पत्र के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।

12. तदनुसार अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

बी.

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.